न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक निगरानी याचिका सं. :— 03/2026, सी.आई.एस. नं. :— 03/2026
सी.एन.आर. नं. :— **RJDK08-000034-2026**
निर्णय अपील दिनांक :— 01/06/2026

1. मुन्नी पत्नी मुकेश पुत्री बाबूलाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी कृष्णा टेन्ट हाउस के पास जूसरी, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
2. भानूप्रताप पुत्र मुकेश, उम्र 13 वर्ष,
3. देवीका पुत्री मुकेश, उम्र 03 वर्ष,
   प्रार्थीगण सं. 02 व 03 नाबालिग जरिये संरक्षक माता मुन्नी पत्नी मुकेश, निवासी कृष्णा टेन्ट हाउस के पास जूसरी, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

—— निगरानीकर्तागण

ब ना म

1. मुकेश पुत्र बस्तीराम, उम्र 39 वर्ष, निवासी बागोट तहसील परबतसर, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक मकराना, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——— गैर निगरानीकतागर्ण

उपस्थितिः—

निगरानीकर्तागण की ओर से	—	अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान, श्री संजय खान।
गैर निगरानीकर्ता सं. 01 की ओर से	—	अधिवक्ता श्री मुजफ्फर हुसैन।
गैर निगरानीकर्ता सं. 02 की ओर से	—	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।

श्री रूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस., अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 297/2024 बअनुवान मुन्नी व अन्य बनाम मुकेश बाबत् अंतरिम भरण—पोषण में पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 के विरूद्ध निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस., 2023

दिनांक :— 01/06/2026

—:: निर्णय ::—

1. हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्तागण मुन्नी व अन्य को प्रार्थीगण व गैर निगरानीकर्ता सं. 01 मुजफ्फर हुसैन को अप्रार्थी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
2. निगरानीकर्तागण मुन्नी व अन्य ने गैर निगरानीकर्तागण मुकेश व अन्य के विरूद्ध विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना

के द्वारा फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 297/2024 बअनुवान मुन्नी व अन्य बनाम मुकेश में दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी याचिका पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विचारण न्यायालय के समक्ष **अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र** इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की शादी हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार दिनांक 19.02.2010 को अप्रार्थी के साथ ग्राम जूसरी तहसील मकराना में सप्तपदी से सम्पन्न हुई। प्रार्थीया को मुकलावे की सीख देकर ससुराल भेज दिया, जहां प्रार्थीया अप्रार्थी के साथ रहवास सहवास करने लग गई। प्रार्थीया के माता–पिता ने विवाह के वक्त अपनी हैसियत से बढ़–चढ़कर दान–दहेज दिया परन्तु अप्रार्थी व उसके परिवारजन, प्रार्थीया को उसके माता–पिता द्वारा दिये गये दान–दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुए तथा प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया को कम दहेज की बात को लेकर तंग परेशान करना शुरू कर दिया, मारपीट करने लग गये तथा समय पर खाना भी नहीं देते परन्तु प्रार्थीया सबकुछ सहन करती रही कि धीरे–धीरे सब कुछ ठीक हो जायेगा। प्रार्थीया, अप्रार्थी के साथ रहवास से एक पुत्र भानूप्रताप व पुत्री देवीका का जन्म हुआ लेकिन मुल्जिमान दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान करते रहें एवं अन्त में प्रार्थीया के साथ संगीन मारपिटाई कर पुत्र–पुत्री को जबरन घर से पहने हुए कपड़ों में निकला दिया, तब से प्रार्थीया अपने पीहर में निवास कर रही है। प्रार्थीया पीहर में अपने माता पिता के साथ निवास कर रही है एवं प्रार्थीया का बिना किसी युक्तयुक्त कारण के परित्याग करने एवं प्रार्थीया व उसके बच्चों की कोई सुध नहीं लेने पर प्रार्थीया ने पुलिस थाना मकराना में एक प्रथम सूचना संख्या 342/2024 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 आई. पी.सी. (85, 316(2) व 115 भारतीय न्याय संहिता) में अप्रार्थी व उसके परिवार वालों के विरूद्ध दर्ज करवाई, जिसमें अनुसंधान जारी है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया व उसके बच्चों का पूर्ण रूप से परित्याग कर रखा है तथा घर से निकाल दिया। प्रार्थीया व उसके पुत्र, पुत्री के भरण–पोषण की व्यवस्था भी नहीं की। प्रार्थीया कोई काम–धन्धा नहीं जानती है तथा प्रार्थीया अपना व अपने पुत्र–पुत्री का भरण पोषण करने में पूर्णतयाः असक्षम है। अप्रार्थी

मकान बनाने का ठेका लेता है जिससे अप्रार्थी 40–50 हजार रूपये मासिक कमा लेता है तथा अप्रार्थी के पिता के नाम ग्राम बागोठ में कृषि भूमि है जिससे अप्रार्थीगण को 4–5 लाख वार्षिक आय होती है। दूसरी ओर प्रार्थीया के पास अपना आय का कोई साधन नहीं है एवं स्वंय का लोगों से उधार लेकर अपना व अपने बच्चो का जीवन–यापन कर रही है व खर्चा हेतु लोगों से कर्जा कर रही है। प्रार्थीया को अप्रार्थी ने मारपीटाई करके दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया तब से अपने माता पिता के साथ रह रही है जो उधार मांग कर अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर रही है जो प्रार्थीया को 20000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये अप्रार्थी से दिलाने के आदेश प्रदान करें जिससे प्रार्थीया अपना व अपने पुत्र पुत्री का भरण पोषण, दवाई कपड़े, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था कर सकें तथा कुपोषण की शिकार नहीं हो। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया को 20,000/–रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता अप्रार्थी से दिलवाया जावे।

4. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र का **जवाब अप्रार्थी** ने इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया के माता पिता ने प्रार्थीया के विवाह में सिर्फ घरेलू सामान दिया था तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया को कभी भी देहज की मांग को लेकर तंग परेशान नही किया और ना ही मारपीट की। प्रार्थीया ने अप्रार्थी पर सभी आरोप झूठे लगाये है। अप्रार्थी ने अपनी हैसियत अनुसार प्रार्थीया के साथ वैवाहिक जीवन–यापन किया है। प्रार्थीया का विवाह सन 2010 में हुआ था और उसे सभी प्रकार की सुख–सुविधाएं अप्रार्थी द्वारा दी गयी। प्रार्थीया के साथ रहवास–सहवास से एक पुत्र भानुप्रताप व पुत्री देविका का जन्म हुआ तथा उनका भरण–पोषण अप्रार्थी ने ही किया है। प्रार्थीया के साथ मारपीट कब की गयी और कब जबरन घर से निकाला, इसका कोई खुलासा नही है। प्रार्थीया जान–बूझकर ससुराल मे नहीं रहकर अपने पीहर में रह रही है। प्रार्थीया जान–बूझकर अपने वैवाहिक कर्तव्यो से विमुख होकर अपने माता–पिता के घर पर रह रही है। प्रार्थीया ने बिना किसी कारण अन्य लोगो के बहकावे में आकर पुलिस थाना मकराना मे बिलकुल ही गलत व झूठे तथ्यो पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 342/24 अर्न्तगत धारा 498ए, 406, 323 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। प्रार्थीया के

किसी अन्य व्यक्ति से संबंध भी हैं। अप्रार्थी करीब 6 वर्ष पूर्व मजदूरी करते वक्त छत पर से गिर गया था, जिससे उसके सिर में गम्भीर चोटे आयी जिससे अप्रार्थी का दिमागी सन्तुलन खो गया, जिससे उसका इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर मे लगातार चल रहा है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो गयी है, ऐसे समय मे प्रार्थीया को अपने पति/अप्रार्थी की सेवा करनी चाहिये परन्तु अप्रार्थी के बीमार होने दिमागी सन्तुलन कमजोर होने से प्रार्थीया ने जान–बूझकर अपने पति का घर छोडा है। अप्रार्थी के छत पर से गिरने से उसकी याददाश्त कमजोर हो गयी जिससे वो स्वयं अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहा है और आज दिन तक उसका सवाई मानसिंह होस्पिटल जयपुर में इलाज चल रहा है उसके स्वास्थ्य मे सुधार नही होने से जयपुर में ही प्राईवेट डा. अचल शर्मा से भी ईलाज करवाया जा रहा है जिससे अप्रार्थी के इलाज मे लाखो रूपये लग चुके है और आज भी लगातार ईलाज अनवरत जारी है। अप्रार्थी के परिवार वाले बहुत ही गरीब व्यक्ति है। बमुश्किल लोगो से उधार रूपये लेकर अप्रार्थी का इलाज कराया जा रहा है। ऐसी हालत में प्रार्थीया अपने पति/अप्रार्थी के दायित्व को नहीं निभा रही है तथा साथ ही अप्रर्थी के छोटे छोटे बच्चे भानुप्रताप व पुत्री देविका से भी मिलने नही दिया जा रहा है। अप्रार्थी स्वयं दूसरो पर आश्रित है, सोचने समझने में क्षीण है और उसके पास आय का कोई साधन नही है। घटना से पहले वह मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था परन्तु छत पर से गिरने के बाद वह कुछ भी काम नहीं कर पाता है, ऐसे में अप्रार्थी, प्रार्थीगण को भरण–पोषण देने में अक्षम है। अप्रार्थी का घटना के दिन से लगातार ईलाज चला है। उसके दस्तावेज भी उक्त जबाब प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। अप्रार्थी मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया स्वयं ही राजीखुशी अपने पीहर गयी है और जान–बूझकर अपने पति की सेवा नहीं करने के उदेश्य से लोगो के बहकावे में आकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया के माता पिता साधन सम्पन्न है एवं अपनी पुत्री व उसके बच्चो का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकते है। प्रार्थीया को कतई 20,000/–रूपये की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीया चाहे तो अपने पति व परिवार के साथ रह सकती है। अतः प्रार्थीया

का अंतरिम भरण—पोषण का प्रार्थना—पत्र मय हर्जे—खर्चे खारिज किया जावे।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थीया का अंतरिम भरण—पोषण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्तागण मुन्नी व अन्य की ओर से यह निगरानी याचिका पेश की गई है, जो कि दर्ज रजिस्टर की गई।

6. बहस निगरानी याचिका सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निगरानी याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थीया के पक्ष में अंतरिम भरण—पोषण का आदेश पारित नहीं किया है, जो कि विधि—विरूद्ध है। प्रार्थीया ने जो तथ्य अपने प्रार्थना—पत्र में अंकित किये हैं, उस पर विचारण न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का गौर नहीं किया गया है। स्वयं अप्रार्थी मकान बनाने का ठेका लेता है, जिससे वह 40—50 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता है। अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से भी 04—05 लाख रूपये वार्षिक आय होती है लेकिन वह प्रार्थीया व उसके बच्चों का किसी प्रकार का भरण—पोषण नहीं कर रहा है। बिना किसी आधार व साक्ष्य के विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थीया के अंतरिम भरण—पोषण के प्रार्थना—पत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। प्रार्थीया जारता की स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह रही है, इस बाबत् अप्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश को अपास्त कर प्रार्थीया को अप्रार्थी से 20,000/—रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण के दिलवाये जावे।

8. इस संबंध में अपर अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के दिनांक 06.01.2026 के आदेश को पुष्ट किया जावे।

9. इस निगरानी में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 के द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है अथवा नहीं अथवा संशोधन किये जाने योग्य है?

10. निगरानी याचिका के मामलें में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में रिवीजन न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने का औचित्य तभी बनता है जबकि आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित व अनियमितता लिये हुए हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या आक्षेपित आदेश ऐसा है जिसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य है अथवा नहीं?

11. न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशिलन किया गया। इस संबंध में उभय पक्षों के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 19.02.2010 को हुआ था, जिससे उनके एक पुत्री व एक पुत्र का जन्म हुआ था। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया अपनी पुत्र व पुत्री के साथ अपने पति के साथ अलग निवास कर रही है और अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया व उसके बच्चों का भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीया ने अपने अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना–पत्र में उक्त तथ्य वर्णित किये हैं कि प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित दहेज उसके माता–पिता ने शादी में दिया था। अप्रार्थी और उसके परिवार वाले उसे दहेज की मांग कर तंग–परेशान करते थे और उसे व उसके बच्चों को घर से बाहर निकालकर दिया था। वर्तमान में उसका व उसके बच्चों का भरण–पोषण उसके पति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में तथ्य वर्णित किये हैं कि प्रार्थीया की ओर से मुकदमा सं. 342/2024 अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. लोगों के बहकावे में आकर किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थीया के साथ उसके द्वारा कब मारपीट की गई व कब जबरन घर से निकाला गया, इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। प्रार्थीया जान–बूझकर अपने वैवाहिक कर्तव्यों से विमुख होकर अपने माता–पिता के पास रह रही है और बिना किसी कारण उसका परित्याग कर रखा है, जबकि 06 वर्ष पूर्व मजदूरी करते समय छत से गिरने के कारण दिमागी संतुलन खो जाने से उसका निरन्तर अस्पताल में ईलाज चल रहा है।

12. अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था, जिसके कारण उसका निरन्तर ईलाज चला और वर्तमान में भी उसका ईलाज चल रहा है, जिससे वह कमाने योग्य नहीं है, जिसके बावजूद प्रार्थीया उसे छोड़कर उसका देखभाल नहीं कर अपने पीहर में अलग निवास कर रही है, इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने अप्रार्थी मुकेश के ईलाज के संबंध में दस्तावेजात पेश किये हैं। इस संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि यह सही है कि अप्रार्थी के सिर में चोट लगी थी किन्तु अप्रार्थी की स्थिति इस प्रकार की हो गई हो कि वह कमाने योग्य न हो। इस संबंध में विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया जावे तो उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से तथ्य अंकित हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की आय के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये जाने व जो दस्तावेजात अप्रार्थी ने स्वयं के ईलाज के संबंध में पेश किये हैं, उसके खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी की आय के स्त्रोत व उसकी शारीरिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के अंतरिम भरण—पोषण के प्रार्थना—पत्र को खारिज किया,

13. इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना—पत्र के साथ स्वयं के ईलाज के दस्तावेजात पेश किये हैं, जो कि हालांकि फोटो प्रति में हैं लेकिन उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि अप्रार्थी के सिर से संबंधित बीमारी का ईलाज वर्ष 2019 से निरन्तर चल रहा है, जिसके कारण वह वर्तमान में कमाने योग्य नहीं है। उक्त दस्तावेजात के खण्डन में प्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है और न ही अप्रार्थी की आय के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश किये गये हैं। साथ ही यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्षकारान के मध्य धारा 498ए, 406, 323 भा.दं.सं. का मुकदमा विचाराधीन है लेकिन अप्रार्थी की ओर से स्वयं की बीमारी के ईलाज से संबंधित दस्तावेजात पेश किये गये हैं, जिसके खण्डन में प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यह सही है कि पत्नी व बच्चों का भरण—पोषण करने का दायित्व पति/पिता पर होता है लेकिन विशेष तथ्य—परिस्थितियां, जो कि धारा 125 सी.आर.पी.सी. में

उल्लेखित है, वे परिस्थितियां होने पर प्रार्थीया भरण—पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं मानी जा सकती है। हालांकि अप्रार्थी की ओर से जो स्वयं ईलाज के संबंध में दस्तावेजात पेश किये गये हैं, उस बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य लेखबद्ध नहीं हुई है। पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से पेश किये गये अंतरिम भरण—पोषण प्रार्थना—पत्र का निस्तारण विचारण न्यायालय के द्वारा किया गया है लेकिन इस स्तर पर प्रार्थीगण के द्वारा भरण—पोषण दिलवाये जाने का प्रार्थना—पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की ओर से पेश किये गये मेडिकल दस्तावेजात व अप्रार्थी की आय के स्त्रोत के बाबत् कारण उल्लेखित करते हुए जो भरण—पोषण की राशि प्रार्थीगण को नहीं दिलवाई जाने बाबत् आदेश पारित किया है, वह इस स्तर पर युक्तियुक्त प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष दृष्टिगत नहीं होता है।

14. जहां तक कि अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अंतरिम भरण—पोषण के प्रार्थना—पत्र के संबंध में आदेश पारित किया है, जो कि Interlocutory आदेश है, ऐसे में उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका खारिज की जावे, जबकि इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण—पोषण प्रार्थना—पत्र के संबंध में पारित आदेश Interlocutory आदेश नहीं है, ऐसे में अधिवक्ता अप्रार्थी का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

15. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 06.01. 2026 को अंतरिम भरण—पोषण प्रार्थना—पत्र के संबंध में आदेश पारित किया गया है, वह **Interlocutory** आदेश है या नहीं, इस संबंध में न्यायालय को निम्न न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है :—

<u>Three Judge Larger Bench</u>

(Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Kumar)
(Hon'ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah)
(Hon'ble Mr. Justice Harish Kumar)

1. Dr. Dilip Kumar @ Dr. Dilip Kumar Sharma @ Dilip Sharma
Vs.
The State of Bihar & Anr.
Criminal Mis. No. 6740 of 2016

Criminal Procedure Code Section- 125 (Second Proviso) Interim Maintenance - Nature of Order - Not interlocutory -

Held, an order passed under the second proviso to Section 125 CrPC granting interim maintenance is not merely an interlocutory order. It substantially affects rights and liabilities of the parties, carries finality qua the issue of interim maintenance, and thus qualifies as an "intermediate" or "quasi-final" order.

In **Aakanksha Shrivastava Vs. Virendra Shrivastava & Anr.: 2010 (3) MPLJ 151** (a Division Bench judgment of the Madhya Pradesh High Court), an issue arose whether a revision petition could be preferred against an order of interim maintenance. It was held that the order of interim maintenance under Section 125 Cr.P.C. was an intermediate or quasi final order. Relying upon the judgment of **Amar Nath Vs. State of Haryana: (1977) 4 SCC 137,** it was held that an order which substantially affects the rights of an accused and decides certain rights of the parties is not to be held an interlocutory order so as to make it unrevisable.

Supreme Court in **Madhu Limaye Vs. State of Maharashtra: (1977) 4 SCC 551** in which the Supreme Court had held that ordinarily and generally, the expression interlocutory order has been understood and taken to mean as a converse of the term final order; but the interpretation and the universal application of the principle "what is not a final order must be an interlocutory order" is neither warranted nor justified.

We are thus of the considered view that an order of interim maintenance is an order finally deciding the issue of the moment, which is not, stricto sensu, an interlocutory order but an intermediary order against which no bar of preferring revision against such order would apply.

The questions are, thus, answered as follows:-

(i) An order of interim maintenance under the second proviso of Section 125 Code of Criminal Procedure, 1973 is not an "interlocutory order", but an "intermediate/quasi final order"; and

(ii) The remedy of criminal revision would be available qua both the interim and the final order under Sections 125 to 128 of the Code of Cri. Procedure, 1973 under sub-section (4) of Section 19 of the Family Courts Act, 1984.

2. Amir Khan Vs. State of Rajasthan & Ors.
2019 (2) CJ (Cri.) (Raj.) 1155

Protection of Women from Domestic Violence Act, 2006-Secs. 23 & 29-Code of Criminal Procedure, 1973-Sec. 397(2)-Revision against the order of granting interim maintenance-Maintainability-Since the order passed u/s 23 though limited In Its jurisdiciton till the main proceedings is a final order, hence there is no bar of entertaining a revision.

माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जो अंतिम आदेश नहीं है, वह अंतरिम आदेश होना चाहिए। उक्त सिद्धांत की व्याख्या और सार्वभौमिक रूप से उसका अनुपयोग उचित नहीं है और जो पक्षकारों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है, उसे अंतरिम आदेश नहीं माना जा सकता है व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अंतरिम भरण–पोषण के आदेश के विरूद्ध रिवीजन याचिका दायर की जा सकती है। धारा 125 सी.आर.पी.सी. के तहत अंतरिम भरण–पोषण का आदेश एक **Intermediate quasi final order** है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था, जो कि अलग से दर्ज हुआ था, जिस पर विचारण न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्ध उक्त निगरानी याचिका प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। चूंकि उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में एक **Interlocutory** आदेश नहीं है, बल्कि पक्षकारों के अधिकारों और हितों को अंतिम निर्णय तक प्रभावित करने वाला आदेश है, अतः न्यायालय मत में उक्त आदेश **Intermediate quasi final order** है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश के **Interlocutory** आदेश नहीं होने व **Intermediate quasi final order** होने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पेश निगरानी याचिका पोषणीय है।

17. फलस्वरूप उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन व पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत में

प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 06.01.2026 को अंतरिम भरण—पोषण प्रार्थना—पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, वह वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुसार सही है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश की पुष्टि की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

18. परिणामतः निगरानीकर्तागण मुन्नी व अन्य के द्वारा मुकेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका सं. 3/2026 अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2026 को पारित आदेश वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से पुष्टि की जाती है।

1. प्रार्थीया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अंतरिम भरण—पोषण का प्रार्थना—पत्र वर्ष 2024 से लम्बित है और विचारण न्यायालय के द्वारा अंतिम भरण—पोषण के संबंध में प्रार्थीया के पक्ष में आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसे निगरानी न्यायालय ने पुष्ट किया है। लेकिन प्रार्थीगण के प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया व उसके बच्चों को ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके पश्चात् प्रार्थीया ने वर्ष 2024 में अपने स्वयं व बच्चों के भरण—पोषण हेतु मूल भरण—पोषण का प्रार्थना—पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया था, ऐसे में उक्त प्रार्थना—पत्र पेश करने से अब तक 02 साल की अवधि बीत चुकी है, अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान को यह आदेशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा विचारण न्यायालय को भी यह हिदायत दी जाती है कि वे मूल प्रकरण का निस्तारण छः माह के भीतर करने का प्रयास करे।
2. निर्णय की प्रति के साथ पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

19. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)